

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 24.03.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत दबिश के दौरान 18 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पिछले दो दिनों में जनपद के थानों की पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 18 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01 इरशाद अहमद पुत्र स्व0 मो0 आरिफ निवासी बाघनगर 02 राम सागर पुत्र सितऊ निवासी छपिया छितौनी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, उ0नि0 श्री दिनेश कसौधन, उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह, हे0का0 दुर्गेश कुमार, का0 अनिल यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी नाम पता 01 दिनेश पुत्र रामलाल ग्राम चौराकला 02 बनारसी पुत्र रामसकल 03. गोविन्द पुत्र शिवमूरत निवासीगण ग्राम हैसर 04 रामसमुझ पुत्र रामशेष ग्राम घोरंग 05 गोपी पुत्री भगवानदास ग्राम गौरडीह थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, विनोद कुमार यादव, उ0नि0 सुरेन्द्र यादव, उ0नि0 हरिकेश भारती, उ0नि0 रामदरश यादव, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, का0 आशुतोष पाण्डेय, का0 गौरव चौहान, का0 शरद कुमार राय, का0 गौरव चौहान।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01 उमेश पुत्र सुरेश यादव निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 सुर्यनरायन गुप्ता,।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01.लालू यादव पुत्र बनहा यादव 02.परदेशी यादव पुत्र बनहा यादव निवासीगण मधईपुरवा 03 रामाधीन पुत्र ओकार निवासी इमलीडिहा 04 चन्दन पुत्र विश्रनाथ विश्वकर्मा निवासी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, उ0नि0 श्री गिरिजेश मिश्रा, का0 अनुराग सिंह, कां0 अरुण यादव, कां0 मनीष कुमार।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 05 वारण्टी नाम पता 1. लक्ष्मण पुत्र प्रहलाद 2. इन्द्रजीत यादव पुत्र बहरईची यादव निवासीगण भनवापुर 03. श्रीमती देवी उर्फ प्रेमा देवी पत्नी रामअवध 04. रिंका देवी पत्नी सुरेश निवासीगण गंगौरा 05 रोहित पुत्र स्व0 सन्तराम निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मातिबर सिंह यादव, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, म0का0 कोमल देवी, का0 रामभूषण पटेल।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता महेश पुत्र जोखन निवासी दुबौली थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 सुरेन्द्र कुमार सचान, का0 सोनू यादव, का0 रणजीत यादव, म0क0 ममता यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 138 वाहनों से 1,57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 138 वाहनों से 1,57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड 30000 मे से 17500 रूपये की धनराशि वापस कराई गयी

पुलिस अधीक्षक *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन मे क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधो की रोकथाम एंव पीड़ित को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सतत् प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड (30000 रु0) मे से (17500 रु0) वापस कराई गयी तथा शेष राशि होल्ड है जिसे अग्रिम प्रक्रिय से वापस कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- पीड़ित श्री मोहम्मद जमाल पुत्र अब्बस अली निवासी कस्ब बखिरा थाना बखिरा जनपद स0क0न0 से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईट खरीदने की बात का झांसा देकर 30000रु0 फ्राड कर लेने के सम्बन्ध मे थाना पर प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए । 29000 रु0 खाते मे होल्ड कराया गया तथा मा0 न्यायालय के आदेश पर 17500 रु0 दिनांक 24.03.2026 को वापस कराया गया। इस पर पीड़ित द्वारा जनपद संतकबीरनगर पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गयी।

जनपद पुलिस ने आम नागरिको से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, काल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी ओटीपी पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करे। सावधानी ही सुरक्षा है।

रिकवरी कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण:- प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह ,व0उ0नि0 राजेश कुमार, का0 चन्दभान सिंह , म0का0 सुमन कुमारी , म0का0 अनामिका सिंह

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेंहदावल *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता नबी अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी सेमरियांवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को तहसील मेंहदावल के पास से 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 24.03.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नबी अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी सेमरियांवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 102/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर ।

बरामदगी- 400 ग्राम अवैध गाँजा ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में अभियुक्त को न्यायाल उठने तक का कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0म0 जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर बावत अभियुक्त रमेश कुमार गुप्ता पुत्र रामवेलास निवासी सांथा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से घायल होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि श्री उमेश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 419/2013 धारा 279/337/338 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश कुमार गुप्ता पुत्र रामवेलास को अन्तर्गत धारा 279/337/338 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप वन अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायाल उठने तक का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0म0 जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार द्वारा थाना बखिरा पर बावत अभियुक्त रामजीव राम यादव पुत्र परशुराम यादव निवासी रायपुरा थाना फतुहा जनपद पटना (बिहार) के पास से 700 अदद प्लाईवुड बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि श्री हकिमुल्लाह खां द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 17/2001 धारा 02 वन अधिनियम व 3/28 ट्रांजिक्ट एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामजीव राम यादव पुत्र परशुराम यादव को अन्तर्गत धारा 02 वन अधिनियम व 3/28 ट्रांजिक्ट एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में अभियुक्त को न्यायाल उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायाल उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा निवासी गोईठहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिर पर दिनांक 14.11.20017 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रामबृक्ष पुत्र रामललित निवासी गोईठहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना बखिरा पर एनसीआर पंजीकृत कर एचसीपी श्री रामरतन वर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 297/2017 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 323/504 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में 04 अभियुक्तों को न्यायाल उठने तक की अभिरक्षा व कुल 8000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तों को न्यायाल उठने तक की अभिरक्षा व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा निवासी मुडाडीह थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 20.08.20018 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01 धर्मराज पुत्र अलगू 02 सुशीला पत्नी धर्माज 03 इन्द्रावती पुत्री धर्मराज 04 कुशमावती पुत्र धर्मराज निवासीगण मुडाडीह थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर एनसीआर पंजीकृत कर एचसीपी श्री विक्रम सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 264/2018 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 323/504 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 09 किलो 700 ग्राम अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला *श्री अनिल कुमार* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मु0अ0सं0 41/2026 धारा /18 धारा एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. मोहम्मद रईस पुत्र स्व0 अब्दुल हई निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को ग्राम लोहरसन में छापेमारी कर अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ करते हुए 09 किग्रा 700 ग्राम अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

***घटना का विवरण* –**

आज दिनांक 27.02.2026 को सूचना मिली कि ग्राम लोहरसन में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने खेत में अफीम का पौधा बोया है। उक्त सूचना पर थाना बेलहरकला पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त को 09 किग्रा 700 ग्राम अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया ।

***पंजीकृत अभियोग*:**

मु0अ0सं0 41/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर ।

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 रामभूषण पटेल, का0 बृजेश सिंह, का0 रोहित कुमार, का0 राहुल कुमार ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कोडीन युक्त औषधियों को गैर चिकित्सीय उपयोग / दुरुपयोग / विक्रय एवं अन्य अपराधिक कार्य के अपराध की संभावना से किए जा रहे कृत्य एवं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जय प्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 1085/2025 धारा 206(ए)/271/276/318(4) बीएनएस व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 03 अभियुक्तों का नाम पता 01. विवेक कुमार चौधरी पुत्र हरीशचन्द्र चौधरी निवासी बधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर, संचालक न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर बघौली जनपद संतकबीरनगर 02. विवेक चौधरी पुत्र पुरुषोत्तम निवासी कविसा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर, संचालक लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, गड़सरपार जनपद संतकबीरनगर 03. मो0 नईम पुत्र मो0 इद्रीश निवासी शेरपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, संचालक आदर्श मेडिकल स्टोर मगहर को सम्बन्धित प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया गया है ।

दिनांक 21.11.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस पर वादिनी औषधि निरीक्षक खलीलाबाद श्रीमती प्रीति सिंह की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित थी ।

गिरफ्तारी टीम- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 बलराम यादव ।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मिलावटी दवाओं अथवा नशीले पदार्थों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई की जा सके।